



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को वर्तमान ट्रैफिक स्थिति को सुगम एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए।

जयपुर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने की योजना बनायें

मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर बैठक में निर्देश दिये

जयपुर, 1 अगस्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था को तुरंत सुगम एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात संचालन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत दीर्घकालीन कार्ययोजना के लिए गृह एवं यातायात विभाग, जेडीए, शहरी विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर

- मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों व आमजन से सुझाव लेकर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था विकसित करें। मानसून के बाद हीरापुरा बस टर्मिनल से बसों का संचालन किया जाए।**

शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस एवं यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को जागरूक करते हुए ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर शहर में वाहनों के सुगम संचालन

और जाम से राहत के लिए व्यापारियों एवं आमजन से सुझाव लेकर व्यवस्तम मार्गों पर वन वे ट्रैफिक संचालन की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के चिन्हित ऑटो और बस स्टैण्ड के स्थानांतरण को शीघ्र लागू किया जाए। इसी क्रम में हीरापुरा

बस टर्मिनल से मानसून के तुरंत बाद बसों का संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों की सख्त पालना कराने और उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर सिग्नल फ्री ट्रैफिक संचालन की कार्ययोजना बनायीं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिहार की पूर्व मतदान सूची में 22 लाख मृत पाये गये

पटना, 01 अगस्ता। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में चलाये गये विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार पूर्व में सूची में जुड़े 22 लाख मतदाता मृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्त में जानकारी दी गयी कि बीएलओ की सहायता से कराये गये सर्वेक्षण में 22 लाख, 34 हजार (2.83 प्रतिशत) मतदाता मृत पाये गये, 36 लाख, 28 हजार (4.59 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम अन्य स्थानों पर भी पंजीकृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस अभियान के तहत राज्य भर में बीएलओ के माध्यम से कुल सात करोड़, 89 लाख, 69 हजार, 844 गणना प्रपत्र मुद्रित करा कर संबंधित मतदाताओं के बीच वितरित किये गए थे। इनमें से 16 लाख से अधिक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किये गये।

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी व रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार

दिल्ली में 71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा

नयी दिल्ली , 01 अगस्ता। किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान और अभिनेता विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में शुक्रवार को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा की गई। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख को उनकी फिल्म जवान और विक्रांत को 12वीं फेल के लिए अवॉर्ड मिला है। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वसें नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। फिल्म ‘कटहल’ को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिये चुना गया है।

करण जोहर की ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ को सुपूंग् मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। विघु विनोद चोपड़ा निर्देशित ‘12वीं फेल’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया, जबकि ‘द केरला स्टोरी’ के लिए सुदीप्तो सेन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवॉर्ड अपने नाम किया।

सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

उन्हें 17000 करोड़ के लोन फ्रॉड व मनी लॉण्डरिंग के मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिये बुलाया

- लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है, जब जांच एजेन्सी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।**

करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना, यह दर्शाता है कि जांच एजेंसी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी जारी करना सामान्य कदम नहीं है। यह तब किया जाता है, जब जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

इस कदम से सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट जारी हो गया है।

इससे अनिल अंबानी की विदेश यात्राओं पर रोक लग गई है। यह एक साफ संकेत है कि ईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह अनिल अंबानी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और सेबी जैसे अन्य नियामक निकायों की रिपोर्ट पर आधारित है। ईडी की जांच में लोन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से, 2017 और 2019 के बीच यस बैंक की ओर से अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के लोन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने कई अनियमितताओं की बात कही है। इसमें बैंकडेटेड क्रेडिट अप्रुवल, उचित जांच की कमी और विभिन्न ग्रुपों और शेल कंपनियों के फंड का गलत इस्तेमाल शामिल है।



शाहरुख खान



विक्रांत मैसी



रानी मुखर्जी

फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ‘सैम बहादुर’ को वैभवभूषा और मेकअप के

की प्रेम कहानी (हिंदी) के लिये कोरियोग्राफर वैभवी मंचेंट को मिला।

- शाहरुख खान को फिल्म “जवान” तथा मैसी को “12 वीं फेल” के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। रानी मुखर्जी को “मिसेज चटर्जी वसेंज नॉर्वे” के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है।**

लिए भी सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार रॉकी और रॉनी

पल्लॉवरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार; गाँड बल्चर

कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप का दोषी माना

बैंगलुरु की विशेष अदालत में शनिवार को सजा सुनाई जायेगी

- प्रज्वल रेवन्ना जनतादल (सैक्यूलर) के नेता हैं तथा हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र तथा कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के पुत्र हैं।**

ली थी तथा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा का ऐलान अब शनिवार (2 अगस्त) को होना है। रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं। जब 2,000 से अधिक अश्लील वीडियो विलप, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं

थीं। रेवन्ना के खिलाफ पहली शिकायत अप्रैल 2024 में एक महिला ने दर्ज कराई थी, जो उनके परिवार के फार्माहाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं। उसने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार बलात्कार करने और किसी भी घटना के बारे में बताने पर दुर्व्यवहार के वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

‘चाहे आप रिटायर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जारी रखने का आग्रह करता है। इन बयानों को नज़अंदाज करना ही सबसे अच्छा है।”

मंत्रि किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यवक्त करते हुए कहा है कि वे भारत विशेषी बयान दे रहे हैं, जो उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नहीं करना चाहिए।

राहुल गांधी अगले सप्ताह कर्नाटक के अपने दौरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जहाँ उनसे चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के संबंध में कुछ विस्फोटक खुलासे की उम्मीद

है। इस सब का निशाना है बिहार में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण और वो तरीका, जिससे बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों मतदाताओं को सूचियों से हटा दिया गया है।

विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को इसी सत्र में समाप्त कर देना चाहता है, ताकि चुनाव आयोग परिषद बंगाल जैसे अन्य चुनाव वाले राज्यों में भी ऐसा ही न करे। लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल की स्पष्ट और सटीक बात, और नरेन्द्र मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आक्रामकता, मोदी और उनकी टीम के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

1 9 7 4 से चला आ रहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, राज्य सरकार उस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। अतिरिक्त महाविद्यत्ता ने कहा कि 1969 में राज्य सरकार ने उक्त भूमि को पूरी तरह अवाप्त कर सवाईचक करने की कार्यवाही पुनः शुरू कर दी थी और इस दौरान त्रिलोकीनाथ ने किसी अदालत में पूरी जमीन का सवाईचक होने पर आपत्ति नहीं जताई।

विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि वर्ष 1990 में कई तथ्यों को छुपाते हुए और 1979 में दी गई आंशिक राहत का लाभ लेते हुए, मूल पक्षकार त्रिलोकीनाथ ने सिविल जज से एक आदेश अपने पक्ष में कर लिया, जिसके तहत उसे प्रति बीघा 40,000 रुपये तथा 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाए। विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि इस आदेश से पूर्व किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने त्रिलोकीनाथ को भूमि का मालिक नहीं माना था।

वहीं मूल पक्षकार त्रिलोकीनाथ के वंशजों की ओर से अदालत में बार बार कहा गया कि उनके पिता ने जमीन मूल जागीरदारों से खरीदी थी और जागीरदार

ने ही उन्हें भूमि का स्वामित्व और पट्टा जारी किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि टी. एन. साहनी केवल 1979 द्वारा दिये गये आंशिक अदालतीए राहत के बल पर उक्त जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहे है। अदालत ने कहा कि ‘राजस्थान टनेन्सी एन्क्ट, 1955’ के लागू होने के बाद से मूल पक्षकार के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिससे उसे इस अधिनियम के तहत भूमि का कब्जादारी या कास्तकार होने का हक मिल सके। अदालत ने 1979 के आदेश में कही पर भी खातेदारी के अधिकार टी.एन. साहनी के पक्ष में नहीं दिए केवल आंशिक राहत देते हुए कहा था कि पक्षकार के कब्जे में जमीन पर राज्य सरकार कार्यवाही न करे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष त्रिलोकीनाथ ने उक्त भूमि पर अपना मालिकाना हक होने का दावा पेश नहीं किया और न ही किसी अदालत से उन्हें यह हक मिला। अदालत ने अपने आदेश पर कहा कि त्रिलोकीनाथ किसी

भी तरह के मुआवजे के हकदार नहीं है और उन्होंने समय-समय पर घोखाघड़ी और तथ्य छुपाकर भूमि पर मालिकाना हक पाने की कोशिश करी है और जागीरदारी अधिनियम के हटने और राजस्थान टनेन्सी एन्क्ट के लागू होने से पूर्व एक नाबालिग जागीरदार की जमीन हथियाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि जो पट्टा उनके द्वारा पेश करा गया वह भी कानूनी तौर पर त्रुटियों से भरा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि टी.एन. साहनी कभी भी यह साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने उक्त भूमि पर किसान बनकर हल चलाया। अदालत ने कहा कि 1990 में दिये गये आदेश से जाहिर होता है कि अदालत ने भी त्रिलोकीनाथ द्वारा दिये गये तथ्यों को ‘फैस वैल्यू’ पर ही सही मान लिया और कभी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अदालत में नहीं बुलाया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी त्रिलोकीनाथ की नहीं थी। इसके साथ ही अदालत ने त्रिलोकीनाथ के वंशजों द्वारा मुआवजे की करोड़ों की मांग को भी खारिज कर दिया।

राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों की उपस्थिति का विरोध

नई दिल्ली, 1 अगस्ता। विपक्ष ने

राज्यसभा मेंविरोध प्रदर्शनों के दौरान सदन के बीचोंबीच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों को भेजे जाने का आरोप लगाते हुए इसका कड़ा विरोध किया है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस सभापति हरवंश को पत्र लिख कर यह मुद्दा उठाया है। खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की ओर से लिखे पत्र में कहा है कि कल और आज सदन में सदस्य जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान दिखा कि सीआईएसएफ के कर्मी अंदर बीचोंबीच आ कर खड़े हो गये थे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पैदा करता हो। अनुच्छेद 14 महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अपने पिता को इकलौती संतान है। उसने अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया था। इस दौरान, प्रतिवादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा 2(2) के प्रावधानों के आधार पर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी पेश कर वाद खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि यह अधिनियम एससी वर्ग के सदस्यों पर लागू नहीं

छात्रसंघ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मांगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई टाल दी।

याचिका में बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को, अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कलत विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। वहीं, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत, हर साल छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए। कमेटी की सिफारिश के अनुसार सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव हो चाहिए।

^[1] मॉडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हव्वा, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई.- नं. 352147/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्यभट्ट मैन रोड आर्यद, उदयपुरा फोन: 2413092, फैक्स : 02994-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, जयपुर फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्टीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौरा फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908